14.5.18 → पत्रावली पेश हुई। वादी इन्द्रचन्द हाजिर। प्रतिवादी सं० 3 हाजिर। प्रकरण को सुना गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गिरोली की जमाबंदी सं० 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 2-152 खसरा नम्बर 154 रकबा 11.00.00 बीघा नं० 2 इन्द्रचन्द पुत्र फूलचन्द जैन (महाजन) के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने इस भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः इन्हे बेदखल किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादी का दावा खारिज करने योग्य है।

आज उभय पक्ष केन्द्र पर उप० हुए हैं। वादी इन्द्रचन्द ने बताया कि हमारे उभय पक्ष के बीच में राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा स्वीकार कर वाद का निस्तारण करने की कृपा करें। इस वाद वर्णित आराजी में से 4 बीघा आराजी प्रतिवादी के वारिसान के नाम विक्रय पत्र पंजीयन करवा देंगे। तथा वादीगण को प्रतिवादी 1,60,000 रु. अदा करेंगे। उभय पक्षों के विक्रय पत्र पंजीयन होने पर खाता का अंकन विक्रय पत्र में इन्द्राज करवा लेंगे। उभय पक्ष 4. बीघा का पंजीयन होने पर शेष 7. बीघा आराजी वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर देंगे। इसमें किसी प्रकार का लेनदेन बीच टाईटिल का नहीं रहेगा।

वादी ने राजीनामा स्वीकार कर वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया है। अतः वादी की प्रार्थना पर वाद पत्र की कार्यवाही समाप्त की जाती है। मिसल नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय मजमे आम हिंगोनिया में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

Scanned by CamScanner